पत्रांक–13/वि० 03–52/2019........................../

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

पटना, दिनांक–.../

विषय :– दिनांक 19.01.2020 को 11.30 से 12.00 बजे मध्याह्न तक राज्यव्यापी मानव शृंखला के आयोजन के संबंध में।

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार का निर्णय है कि दिनांक, 19.01.2020 को पूरे राज्य में जल–जीवन–हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह समाप्ति एवं दहेज उन्मूलन विषय पर मानव शृंखला का आयोजन किया जाना है। यह राज्यव्यापी मानव शृंखला निर्माण जिला में आपके नेतृत्व में आयोजित होगी। इस संबंध में निम्नांकित निदेशों पर कार्यान्वयन अपेक्षित है।

1. उच्च स्तरीय निर्णयानुसार इस वर्ष बिहार के सभी जिलों से सम्पर्क के साथ 16200 किलोमीटर (मुख्य मार्ग एवं सब रूट मिलाकर) की मानव शृंखला बनायी जाएगी। जिले के मुख्य मार्ग दूसरे जिले से जुड़ेंगे और अन्ततः पटना गांधी मैदान से जुड़ेंगे। जिले के अन्दर sub-route में भी मानव शृंखला बनायी जाएगी। सभी मार्ग का निर्धारण आपके स्तर से किया जायेगा।

2. जिला अन्तर्गत मुख्य मार्ग एवं उप मार्ग का जिलावार लक्ष्य इस पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार दिनांक 21.01.2018 को बनाये गये मानव शृंखला की दूरी में प्रति जिला 20% अतिरिक्त लम्बाई जोड़कर दिनांक 19.01.2020 की मानव शृंखला की लम्बाई निर्धारित की गई है।

3. दिनांक 19.01.2020 को पूर्वाह्न 11.30 बजे से 12.00 बजे मध्याह्न तक मानव शृंखला में निर्धारित मार्ग पर लोग आपस में हाथ से हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि 10.30 बजे तक सभी प्रतिभागी निर्धारित स्थल पर उपस्थित हो जाए। मानव शृंखला में सभी प्रतिभागी पटना को प्रस्थान स्थल मानते हुए सड़क की बायीं ओर कतारबद्ध होकर हाथ–में–हाथ पकड़ खड़े होंगे। इस पत्र के साथ दिनांक 19.01.2020 को बनने वाली मानव शृंखला की अपेक्षित लम्बाई संलग्न है। कृपया जिलावार दिये गये लक्ष्य के अनुसार जिले में लगने वाले मानव शृंखला का मुख्य मार्ग एवं उप मार्ग का मैप सहित प्रतिवेदन दिनांक 10.12.2019 तक अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत जन शिक्षा निदेशालय के कार्यालय पता पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी अपने स्तर से एक वरीय पदाधिकारी को शृंखला निर्माण का प्रभारी पदाधिकारी नामितकर उनका मोबाइल नं० एवं ईमेल भेजें ताकि जिले को शृंखला संबंधी आवश्यक सूचनाओं/पत्रों को तुरंत प्राप्त कराया जा सके। पता निम्नलिखित है :–

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, कमरा संख्या–351, तीसरा तल्ला, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना–800015, Email ID-slmabihar@gmail.com

4. जिला स्तर पर दिनांक 19.01.2020 को बनने वाली मानव शृंखला का कार्य योजना एवं कार्यान्वयन की जवाबदेही संयुक्त रूप से जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की होगी। जिला स्तर पर शीघ्र बैठक कर इसकी तैयारी कर ली जाए। एक जिला दूसरे जिले के सन्धि स्थलों पर एवं मार्ग के निर्जन स्थलों पर विशेष तैयारी करनी होगी। आवश्यकतानुसार विशेष टीम भी वहाँ लगनी होगी, ताकि शृंखला लगातार हो। दिनांक 19.01.2020 को बनने वाली मानव शृंखला पर होने वाले निर्धारित व्यय की राशि शिक्षा विभाग द्वारा यथाशीघ्र जिलों को उपलब्ध करायी जा रही है।

5. जिला स्तर के सभी विभागों के सभी सरकारी एवं संविदागत कर्मी/सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय/उच्च विद्यालय/उच्चत्तर विद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मी, जीविका दीदी, आशादीदी, सेविका, सहायिका, छात्र–छात्राएँ मानव शृंखला निर्माण में पूर्ण भागीदारी करेंगे। जीविका एवं मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना से जुड़े शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) मानव शृंखला के लिए प्रचार–प्रसार में लगेंगे एवं भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

6. दिनांक 19.01.2020 को बनने वाले मानव शृंखला में **कक्षा–01 से 05 के बच्चों को शामिल नहीं किया जायेगा।** इस बात पर विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। कक्षा–05 से ऊपर के सभी छात्र–छात्रायें इसमें भाग लेगें।

7. दिनांक 19.01.2020 को बनने वाली मानव शृंखला में जिले के सभी माननीय वार्ड सदस्य, माननीय मुखिया, माननीय पंचायत समिति सदस्य, माननीय जिला पार्षद अपने–अपने क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका में हों, इसके लिए आप अपने स्तर से उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करें

8. जिला के सभी विभागों के वाहन/एम्बुलेंस एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का पानी टैंकर एवं अन्य विभागों के अन्य संसाधन जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार मानव शृंखला नें उपयोग किया जायेगा।

9. चूँकि 19.01.2020 को लगने वाली मानव शृंखला के थीम में फोक्सड बिन्दु राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना "जल–जीवन–हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह समाप्ति एवं दहेज उन्मूलन" पर भी केन्द्रित है। अतः जिले के अन्तर्गत सम्बद्ध विभागों के मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए। विभागीय स्तर से भी उन्हें निदेश दिया जा रहा है।

10. मानव शृंखला की सारी प्रक्रिया, गतिविधियाँ जो विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न होंगे, का दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफी, विडियोग्राफी कराई जाए। यह कार्य जिला पदाधिकारी स्वयं अपने पर्यवेक्षण में करवायें। बेहतर होगा कि जिला पदाधिकारी इस दस्तावेजीकरण कार्य हेतु एक दल का गठन कर लें जो क्षेत्रों से सूचनाएँ एवं सामग्री संग्रह कर समेकित करेगा।

11. मानव शृंखला के लिए जिला में पदस्थापित पुलिस कर्मी को ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सेक्टरवाईज लगाया जाए। मानव शृंखला के मुख्य मार्ग पर Route Lining पुलिस मुख्यालय मुख्य मार्ग पर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला स्तर पर तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अनुमण्डल स्तर पर सुनिश्चित करायेंगे।

12. दिनांक 19.01.2020 को लगने वाली मानव शृंखला का व्यापक प्रचार–प्रसार हो, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो। इसके लिए जिला खुद अपनी–अपनी योजना बनाये। नवाचारी गतिविधियों का आयोजन हो। इस संबंध में जिला स्तरीय पदाधिकारी उचित निर्णय लें।

13. मानव श्रृंखला निर्माण के लिए प्रचार–प्रसार एवं वातावरण निर्माण की भी विशेष आवश्यकता होती है, जैसे– कला जत्था का आयोजन, नारा लेखन, साईकिल रैली आदि–आदि इस संबंध में भी यथाशीघ्र सभी जिलों को निदेश एवं राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

14. जिलों में निर्धारित मुख्य मार्ग एवं उप मार्ग पर लक्ष्य के अनुरूप भागीदारी हो। श्रृंखला लगातार हो, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार का प्रचारात्मक गतिविधियों का आयोजन हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर अलग–अलग उप समिति बना ली जाए। सभी उप समितियों में आयोजित किये जाने वाले प्रचारात्मक गतिविधियों के अनुसार विशेषज्ञ, कार्यकर्त्ता, कर्मचारी को सदस्य के रूप में जिम्मेवारी दी जाए। साथ ही जिला स्तर पर बनाई गई इन उप समितियों का एक प्रभारी पदाधिकारी भी नामित किया जाए एवं हर दो–तीन दिनों पर इस कार्य की समीक्षा जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी द्वारा हो।

विश्वासभाजन,

3/12/19

(आर०के०महाजन)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2871/ पटना, दिनांक–03/12/19/

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी आरक्षी महानिरीक्षक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता एवं सर्व शिक्षा अभियान)/सभी सदस्य, राज्य संसाधन समूह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/12

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

19 जनवरी, 2020 के लिए मानव श्रृंखला का लक्ष्य

क्र0 सं0	जिला का नाम	19.01.2020 को में बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला का अपेक्षित न्यूनतम लम्बाई (कि0मी0 में)।
1	2	3
1	पटना	696
2	भोजपुर	420
3	बक्सर	336
4	रोहतास	504
5	कैमुर	300
6	नालंदा	504
7	मुंगेर	240
8	लखीसराय	276
9	जमुई	408
10	शेखपुरा	144
11	खगड़िया	240
12	बेगूसराय	324
13	नवादा	348
14	गया	516
15	जहानाबाद	192
16	अरवल	156
17	औरंगाबाद	468
18	सीवान	348
19	सारण	576
20	गोपालगंज	444
21	बांका	408
22	भागलपुर	360
23	कटिहार	432
24	किशनगंज	324
25	अररिया	432
26	पूर्णिया	468
27	वैशाली	420
28	मुजफ्फरपुर	1320
29	सीतामढ़ी	564
30	शिवहर	96
31	पू0 चम्पारण	648
32	प0 चम्पारण	648
33	समस्तीपुर	732
34	दरभंगा	444
35	मधुबनी	492
36	सहरसा	240
37	सुपौल	384
38	मधेपुरा	348
	कुल	**16200**

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–2/एम०–90/2016– 5063(2) /स्वा०, पटना, दिनांक 12/12/2019

श्री गुरू नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश गुरूपर्व **दिनांक–27.12.2019 से 29.12.2019** तक **राजगीर** में तथा श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 353वें प्रकाश गुरूपर्व का आयोजन **दिनांक–31.12.2019 से 02.01.2020** तक **पटना** में किया जा रहा है।

2. इस गुरूपर्व के अवसर पर पटना एवं राजगीर में देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गुरूपर्व में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, वैशाली एवं नालन्दा को निम्नांकित निदेश दिया जाता हैः–

(क) गुरू पर्व के आयोजन अवधि में जिला अन्तर्गत सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल एवं सदर अस्पताल को 24×7 परिचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ख) सभी स्वास्थ्य संस्थानों (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सदर अस्पताल तक) में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं, Pathological एवं Radiological Diagnostics की व्यवस्था तथा आवश्यकता का आकलन करते हुए प्राप्त संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।

(ग) सिख श्रद्धालुओं के आवासन हेतु निर्मित अस्थायी टेन्ट परिसर में 24×7 चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाय। इन सभी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाओं एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

(घ) सिख श्रद्धालुओं के आवासन के लिए निर्मित टेन्ट परिसर के अतिरिक्त कार्यक्रम स्थलों पर निर्बाध 24×7 स्वास्थ्य शिविर स्थापित किया जाय।

(ङ.) दिनांक–27.12.2019 से 02.01.2020 की अवधि में चिकित्सा पदाधिकारियों को मात्र विभाग स्तर से उनकी आवश्यकता को देखते हुए किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

(च) संबंधित जिला पदाधिकारी के सतत सम्पर्क में रहकर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराया जाय

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

12.12.2019

(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

P.T.O.

D:\Sec-2\2019 data\Adesh 2019.docx